(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बहुजलारा – श्री छत्रपाल चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 19 / 2024 / प्रार्थना पत्र

उनवान

1. गोपाललाल पि. राधाकिशन जाति तेली नि. रायपुर तहसील रायपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. बगावन्द पि. राधाकिशन जाति तेली नि. रायपुर तहसील रायपुर
2. भैरूलाल पि. राधाकिशन जाति तेली नि. रायपुर तहसील रायपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट अस्थायी निषेधाज्ञा

आदेश दिनांक : 08/08/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 188 की आराजी किता 2 रकबा 1.4417 हेक्टर भूमि प्रार्थी के खातेदारी की है। खाता सं. 570 की आराजी किता 2 रकबा 1.4417 हेक्टर भूमि अप्रार्थी सं. 2 के खातेदारी की है। खाता सं. 245 की आराजी किता 2 रकबा 1.4417 हेक्टर भूमि अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी की है। उक्त आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज थी जिसका सहमति से बंटवारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने तत्कालीन तहसीलदार से दिनांक 29.02.2008 से करवाया था जिसमें मूल खसरा नं. 2027 व 2028 के तीन भाग किये गये थे। सहमति बंटवारा अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 का राजस्व रिकार्ड में सहमति से बंटवारा किया गया था। उक्त सहमति बंटवारा में दर्ज नजरी नक्शा अनुसार राजस्व नक्शे में हिस्सा दर्ज नहीं किया जाकर गलत दर्ज किया गया जिसकी शुद्धि किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को से सहमति से हुये बंटवारे में दर्ज नजरी नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे में शुद्धि किये जाने हेतु कहा तो उन्होने मना कर दिया।

COPY 2024

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 3 को आदेश दिया जावे कि वह सहमति से हुये बंटवारे में दर्ज नजरी नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे मे प्रार्थी के हिस्से के ख.नं. 2027/2 को मध्य भाग में तथा ख.नं. 2028/2 को उत्तर दिशा में दर्ज करे एवं अप्रार्थी सं. 2 का ख.नं. 2027/1 दक्षिणी दिशा तथा ख.नं 2028 को दक्षिणी दिशा में दर्ज करें। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम रायपुर की जमाबंदी के खाता सं. 188, 245, 570 की नकल व नक्शा ट्रेस, सहमति बटवारा पत्र, नक्शा ट्रेस की प्रतियां, दिनांक 09.01.2024 तहसीलदार रायपुर का पत्र , दिनांक 10.07.2023 का शुद्धि पत्र, नामान्तरण सं. 1924 की प्रति प्रस्तुत किया।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर एडवोकेट श्री विनोद जैन ने वकलातनामा पेश कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को गलत बताकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया एवं विशेष कथन में निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से तहसीलदार पिडावा के यहां दिनांक 29.02.2008 को बंटवारा करवाया गया था उसी अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के खाते राजस्व रिकार्ड में आराजी दर्ज की गई। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष धारा 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रार्थी की मंशा दिनांक 29.02.2008 को हुये आपसी बंटवारे का चेलेन्ज करते हुये बंटवारे को बदलने की है जो कानून सम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी बैंक में रहन है एवं बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 2 की ओर एडवोकेट श्री विनोद शर्मा ने वकलातनामा पेश कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को गलत बताकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया।

दिनांक 24.07.2024 को अप्रार्थी सं. 2 की ओर से मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें उभयपक्ष को सुनकर मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र खारीज किया गया।

प्रकरण में काफी समय से तीनो भाईयों के आराजी पर मकान बने होने एवं कब्जा काश्त होने जो कि सहमति बंटवारे में दर्शायें गये नक्शे से भिन्न होने के कारण पक्षराकारान द्वारा पीठासीन अधिकारी को मौका देखने का निवेदन किया गया। प्रकरण की गंभीरता एवं न्यायहित को देखते हुये मौका देखा गया ताकि

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

सगे भाईयों के बीच आराजी को लेकर बेहतर समाधान निकाला जा सके और विवाद का स्थाई समाधान किया जा सकें। वादग्रस्त आराजी पर पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पिडावा) द्वारा तहसीलदार रायपुर, गिरदावर व पटवारी रायपुर के साथ मौका देखा गया। मौके पर तीनो भाईयों ने आराजी पर मकान बना रखे है और अपने-अपने मकानों के पीछे की आराजी पर हिस्सानुसार कब्जा काश्त किया जा रहा है परन्तु दिनांक 29.02.2008 को तहसीलदार पिडावा के समक्ष हुये सहमति बंटवारे में नक्शानुसार कब्जा नहीं है तथा नक्शा भी उचित प्रतीत नही हो रहा है। यदि उक्त बंटवारा नक्शे अनुसार तरमीम की जावेगी तो सहखातेदारान (सगे भाईयों) में कब्जे और तरमीम को लेकर हमेशा विवाद बना रहेगा तथा आपसी सौहार्द भी हमेशा के लिये खत्म होने की संभावना रहेगी। अतः निष्कर्षतः सक्षम न्यायालय में सहमति बंटवारे की अपील करके कब्जे काश्त व रिहयशी मकानों को कब्जाधारी के बंटवारे में रखने हेतु निवेदन किया जावे इस बाबत मौके पर समझाईश भी की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जवाब पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं पेश दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम रायपुर की विवादित आराजियात के संबंध में उभयपक्षों के मध्य दिनांक 29.02.2008 तत्कालीन तहसीलदार पिडावा के समक्ष आपसी सहमति से बंटवारा हुआ है। इस प्रकार पक्षकारान के मध्य उक्त बंटवारे में की गई नक्शा तरमीम के संबंध में विवाद बना है। यदि उक्त बंटवारे से पक्षकारान संतुष्ट नहीं थे तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी थी परन्तु किसी भी पक्षकारान द्वारा इतने लम्बे समय तक अपील प्रस्तुत नहीं की जबकि उक्त बंटवारे से राजस्व रिकार्ड में हुये परिवर्तन पक्षकारान के संज्ञान में थे।

आदेश

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा उक्त सहमति बंटवारे को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं देकर धारा 136 एल.आर.एक्ट में शुद्धि का प्रार्थना पत्र पेश किया जो उचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का खारीज किया जाता है। पक्षकारान को रिहायशी मकान एवं कब्जा काश्त आराजी के कब्जानुसार बंटवारा , अपील एवं कब्जानुसार नक्शे में तरमीम के लिये सक्षम न्यायालय में

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

अपील की सलाह दी जाती है ताकि सहखातेदार (सगे भाईयो) का विवाद हमेशा के लिये समाप्त होकर सौहार्द व आपसी प्रेम बना रहे। पक्षकारान उक्त सहमति बंटवारे को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

(छत्रपाल चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

COURT 2024

Scanned with CamScanner